राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांक प. 2(5)कार्मिक/क–2/2004 जयपुर, दिनांकः 21 SEP 2021

1. समस्त अति० मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
2. समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स) सहित।

परिपत्र

विषयः–राज्य में भर्ती एवं पदोन्नति हेतु विद्यमान आरक्षण प्रावधानों की पालना हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त करनें के संबंध में।

वर्तमान में राज्य में सीधी भर्ती में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछडा वर्ग, अति पिछडा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण प्राप्त है और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को पदोन्नति में भी आरक्षण प्राप्त है। अतः सीधी भर्ती एवं पदोन्नति में विभिन्न वर्गों को प्राप्त उक्त आरक्षण को उचित रूप से संचालित करनें हेतु रोस्टर पंजिकाएं संधारित किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में कार्मिक विभाग द्वारां समय–समय पर निर्देश जारी किये गये है।

राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि कई बार आरक्षण प्रावधानों की अक्षरशः पालना नहीं होने तथा आरक्षण संबंधी परिवादों/आवेदनों पर अविलम्ब सुनवाई एवं निस्तारण नहीं होने से समस्याए आती है और न्यायिक विवाद भी उत्पन्न होते है। आरक्षण प्रावधानों के कियान्वयन सम्बन्धी समस्याओं/परिवेदनाओं के त्वरित निस्तारण एवं आरक्षण प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करनें हेतु सभी विभागों में एक नोडल अधिकारी नियुक्त करनें का निर्णय लिया गया है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि सभी विभाग आरक्षण प्रावधानों की पालना की सतत् मोनिटरिंग हेतु विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी जो संयुक्त निदेशक स्तर से कम न हो, को नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे। आरक्षण संबंधी नोडल अधिकारी के निम्न दायित्व होगेंः–

1. विभाग के सभी सेवा संवर्गों के लिए आरक्षण पंजिकाओं का संधारण सुनिश्चित कराना।
2. सीधी भर्ती/पदोन्नति में आरक्षण प्रावधानों की पालना सुनिश्चित कराना।
3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बैकलॉग का पूर्ण रिकॉर्ड संधारित करवाना तथा बैकलॉग के पदों को शीघ्र भरनें हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करना।
4. आरक्षण के संबंध में प्रशासनिक विभाग एवं कार्मिक विभाग के मध्य समन्वय करना।
5. विभाग में आरक्षण प्रावधानों के कियान्वयन के संबंध में प्राप्त होने वाली शिकायतो/परिवेदनाओं का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित कराना।
6. विभाग में सभी सेवा संवर्गों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग/अति पिछडा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रतिनिधित्व का रिकॉर्ड रखना तथा राज्य सरकार, विधानसभा अथवा किसी आयोग द्वारा रिकॉर्ड मांगे जाने पर उपलब्ध करवाना।
7. सीधी भर्ती एवं पदोन्नति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग/अति पिछडा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को उनके प्रतिनिधित्व के अलावा देय अन्य लाभों को उपलब्ध करवाना।

सभी विभाग नोडल अधिकारी के नियुक्ति आदेश जारी कर निम्न प्रोफार्मा में सूचना इस विभाग को प्रेषित करेंगे:–

क्रम सं	नोडल अधिकारी का नाम	पदनाम	सम्पर्क नं	मेल आई.डी

इस विभाग में संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–2) द्वारा सभी नोडल अधिकारियों का रिकॉर्ड संधारित किया जायेगा तथा आरक्षण प्रावधानों की पालना करानें में आवश्यक मार्गदशर्न एवं सहयोग उपलब्ध करवाया जायेगा।

21/9/21

(हेमन्त कुमार गेरा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल, राजस्थान।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव/निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव गण।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
6. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली

संयुक्त शासन सचिव

51/21